तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज पाबूराम बनाम लो.सू.अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी पीपाड़शहर) सू.अ.अ.अपील सं0 38/2023 (ऑन लाईन 353767046205374)	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.02.24	अपीलार्थी पाबूराम पुत्र कालूराम निवासी ग्राम हरियाढाणा तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर ग्रामीण ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 01.10.23 में उसके द्वारा (1) राजस्थान सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ11/ SC ST OBC EWS/जा.प्र.प./सान्या.अवि./12/14358 जयपुर दिनांक 25.03.2021 में प्रतिलिपि सूचनार्थ पत्र क्रमांक एफ11/SC ST OBC EWS/जा.प्र.प./सान्या.अवि./12/14358 जयपुर दिनांक 25.03.2021 को आवश्यक कार्यवाही हेतु श्रीमान् को बिन्दु सं0 14 के अनुसार भेजा गया उस पत्र या अधिसूचना की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति व अन्य बिन्दुओं , से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी पीपाड़शहर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 16.10.2023 को सूचना दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी पीपाड़शहर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी पीपाड़शहर) से जरिये पत्रांक 7911 दिनांक 21.11..2023 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रार्थी को ऑनलाईन आर.टी.आई. पोर्टल पर एवं इस कार्यालय के पत्रांक आर.टी.आई./2023 दिनांक 16.10.2023 द्वारा जरिये रजिस्टर पत्र द्वारा निर्धारित दिनांक से पहले उपलब्ध करा दी गई है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी को सूचना प्रेषित की जा चुकी है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2024.05.06 10:16:37 IST
Reason: SelfAttested